

## उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

अधिहरण वाद सं० ०१/२०२१-२२

सरकार.....आवेदक।

बनाम

शेख हलीम एवं अन्य.....विपक्षी।

आदेश

07.01.2022

यह अधिहरण वाद पुलिस अधीक्षक दुमका का ज्ञापांक-2100/अप०शा० दिनांक-09.11.2021 द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है कि पुलिस अधीक्षक, दुमका द्वारा प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि शिकारीपाड़ा थाना काण्ड सं०-25/2018 दिनांक-13.04.2018 को हाईवा गाड़ी रजि नं०-WB-53B-8603 के चालक, शेख हलीम एवं मालिक मीर मिनान ग्राम-रसईपुर थाना पनरुई जिला बीरभूम (पश्चिम बंगाल) एवं अन्य के विरुद्ध गोवंशीय पशु के हत्या करने के आशय से क्रूरतापूर्वक परिवहन एवं तस्करी करने के आरोप में धारा-414/420/34/भा०द०वि० 4(a), (b), (c) (d),/5 of the Jharkhand Bovine Animal Prohibition of Slaughtering Act 2005, 11(D) Cruelty to Animal Act के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। उक्त कांड के अन्तर्गत हाईवा गाड़ी रजि० नं०-WB53B - 8603 में 09 छोटा बड़ा गाय, 11 छोटा -बड़ा बछड़ा एवं 01 छोटा पाड़ा कुल-21 को जब्त करते हुए हाईवा गाड़ी WB-53B-8603 अधिहरण करने का अनुशंसा किया गया है। इस पर अधिहरण वाद की कार्रवाई आरंभ करते हुए हाईवा चालक शेख हलीम, पिता शेख अनारूल एवं हाईवा के मालिक मीर मिनान पिता मीर फनान ग्राम-रसईपुर थाना-पुनरुई, जिला


h

बीरभूम (पश्चिम बंगाल) को कारण-पृच्छा की नोटिस निर्गत किया गया। चालक पर निर्गत नोटिस बिना तामिला का वापस किया गया है किन्तु हाईवा मालिक पर निर्गत नोटिस जो रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा गया है, वापस नहीं लौटा है। इससे स्पष्ट होता है कि हाईवा मालिक को नोटिस प्राप्त हो चुका है। काफी समय बीत जाने के पश्चात् भी हाईवा मालिक द्वारा कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है और न न्यायालय में ही उपस्थित हुए। इससे स्पष्ट होता है कि हाईव मालिक मीर मिनान को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। फलतः एकपक्षीय सुनवाई किया गया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि हाईवा गाड़ी रजि0 नं0-WB-53B-8603 द्वारा गौवंशी पशु की हत्या करने के आशय से क्रुरतापूर्वक परिवहन एवं तस्कतरी किया जा रहा था। अतः शिकारीपाड़ा थाना काण्ड सं0-25/2018 दिनांक-13.04.2018 में जब्त हाईवा गाड़ी रजि0 नं0-W.B -53B-8603 को Jharkhand Bovine Animal Prohibition of Slaughtering Act 2005 के धाराओ के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। आदेश की प्रति थाना प्रभारी, शिकारीपाड़ा को दी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

  
उपायुक्त,  
दुमका।

  
उपायुक्त,  
दुमका।

35 Jsdkt 14.2.22